न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

रा0प्र0क0/15/अ–59 वर्ष 22–23
मौजा सुकलदंड प0ह0नं0– 55
रा0.नि.मं.उकवा तहसील परसवाडा
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट
————आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

आदेश
(पारित दिनांक 12 अक्टूबर 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया गया है ।

नायब तहसीलदार उकवा परसवाड़ा द्वारा प्रकरण न्यायालय मे संस्थित कर प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। वन विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि अधिकारी अभिलेख में बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। नायब तहसीलदार उकवा परसवाड़ा तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैहर द्वारा ग्राम सुकलदंड प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 2रकबा 16.390 में से 13.000 हे. भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है। भूमि का स्थल निरीक्षण भी प्रधानमंत्री सड़क विकास प्राधिकरण, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा उन्होने उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रकरण के अवलोकन उपरांत राजस्व रिकार्ड में ग्राम सुकलदंड तहसील परसवाड़ा में ख.न. 2 रकबा 16.390 हे. में से 13.00 हे. भूमि बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज होकर निस्तार हेतु सुरक्षित है। अतः उसे वन विभाग को हस्तांतरित करने के पूर्व निस्तार से पृथक करने के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी बैहर एवं नायब तहसीलदार उकवा परसवाड़ा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम सुकलदंड तहसील परसवाड़ा में ख.न. 2 रकबा 16.390 हे. में से 13.00 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें ।

आज दिनांक 12/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।

न्यायालय कलेक्टर बालाघाट

12/10/2022

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)

कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

पृ0क0/ 156/रीडर/कले0/2022 बालाघाट दिनांक– 12/10/2022

प्रतिलिपि :–

1– महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट ।

2– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट

3– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर।

4– नायब तहसीलदार उकवा परसवाड़ा जिला बालाघाट ।

5– उप वनमंडल अधिकारी उकवा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12/10/2022

कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)